



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03-09-2022

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-अशरफ पुत्र अख्तर निवासी मौ0 कुरैशियान करबा व थाना बागपत जिला बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राममूर्ती थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 03.09.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-बब्लू पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री बृजेश पौनिया ।

2- का0 1037 अभिषेक यादव ।



प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनाँक 03.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 230/22 धारा  
452/354/354घ/376/511/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त  
को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 230/22 धारा 452/354/354घ/376/511/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राजा पुत्र यशपाल निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना दोघट ।

2-का0 894 अमित कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनाँक 03.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 370/22 धारा 302/307/504 भादवि में  
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त  
आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 31/08/2022 को थाना खेकडा पर वादी प्रदीप उर्फ मोनू पुत्र श्री सतीश चन्द त्यागी निवासी ग्राम रावण उर्फ बड़ागांव थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके चचेरे भाई अर्जुन व उसके साथी तपेश के ऊपर अभियुक्तगण 1-सतेन्द्र उर्फ डब्बल पुत्र अतराज, 2-ऋतिक पुत्र भूरू, 3-विशाल



पुत्र लल्लू व उसके अन्य साथी ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी । गोली लगने से तपेश की मौके पर ही मौत हो गई तथा अर्जुन भी गोली लगने से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 302/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 370/22

धारा 302/307/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 01-09-2022 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1- दीपक उर्फ देवा पुत्र प्रेम सिंह निवासी पट्टीरामपुर लाईनपार कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### **बरामदगी का विवरण-**

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ ।
- 2- का0 565 मनोज कुमार ।
- 3- का0 301 मुलायम सिंह ।
- 4- का0 335 राकेश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 03.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 323/22 धारा 307/504/506

भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अंकित को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.09.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री हरवीर पुत्र कलीराम निवासी हजुराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.अंकित पुत्र करण सिंह 2.वंश सुधीर निवासीगण हजुराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर व 3.मिटठू निवासी सिनौली ने उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से गाली-गलौच करते हुए फायर किया व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 323/22 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गयी ।



पुत्र

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 323/22 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अंकित पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम हजुराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियवर्त आर्या ।

2-का0 02 यतेन्द्र ।

3-का0 73 रवेन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 03.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 गडांसा, 02 छूरी आदि सामान बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्त नोशाद को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नोशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 गडांसा, 02 छूरी लोहा आदि सामान बरामद ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।

2-उ0नि0 विकास कुमार ।

3-है0का0 301 हरिओम सिंह ।

4-का0 442 प्रमोद कुमार ।

5-का0 48 आकाश कुमार ।

6-का0 1055 सुचेन्द्र सिंह ।

7-का0 44 संजीव कुमार ।

8-का0 783 हिमांशु कुमार ।